

का
सं०
तारीख

आदेश और पदाधिकारी हा हस्ताक्षर P.N.53-
01-07-2020

आदेश पर की
गई कार्रवाई
के बारे में
टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय :- उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

L.C वाद सं०- 01/2017-18
अवध किशोर पाण्डेय वगैरह- अपीलकर्ता
बनाम
लालमणी माण्डेय वगैरह- विपक्षी

P.N.54-
01-07-2020

आदेश

अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदक अवध किशोर पाण्डेय वल्द स्व० जगदीश पाण्डेय वो श्रीमती प्रेमसुन्दरी देवी पति अवध किशोर पाण्डेय दोनो निवासी ग्राम- आमर, पो०+थाना- मझिआँव, जिला- गढ़वा द्वारा भू-हदबंदी अधिनियम 16 (3) के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।

ग्राम	खाता (पुराना)	खाता (नया)	प्लॉट (पुराना)	प्लॉट (नया)	रकबा
आमर	20	45	702	1529	0.20½
	20	45	702	1630	0.17
कुल रकबा-					0.37½ एकड़

आवेदक अवध किशोर पाण्डेय पिता स्व० जगदीश पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा आवेदन समर्पित कर बताया है कि निबंधित विक्रय पत्र सं०- 405/393 दिनांक- 07.03.2017 के हस्तांतरित की गई भूमि के उत्तरी चौहदी में उनको चौहदीदार रैयत के रूप में दर्शाया गया फलतः वे धारा 16 (3) सिलिंग अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डो को पुरा करते है फलतः उपरोक्त विक्रय पत्र द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि आवेदक को प्राप्त होनी चाहिए आवेदक ने अपने आवेदन के साथ चालान संख्या- 734 दिनांक- 22.03.2017 मूल्य 562500 एवं विक्रय पत्र संख्या 405/393 दिनांक- 07.03.2017 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गई है।


विपक्षी का कथन है कि यह सिलिंग वाद संघारित योग्य नहीं है तथा आवेदक का प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विपक्षी संख्या चार का कथन है कि आवेदक विक्रय पत्र संख्या 405/393 दिनांक- 07.03.2017 द्वारा हस्तांतरित चौहदीदार रैयत नहीं है। भूमि क्रेता/विपक्षी का यह भी कथन है कि उनके द्वारा क्रय की गई भूमि/प्रश्नगत भूमि के स-हिस्सेदार है। क्योंकि पाण्डेय रघुनन्दन राम, पाण्डेय देवनन्दन राम एवं पाण्डेय विक्रमा राम को खेवट नं०- 09, 10 एवं 11 की भूमि संयुक्त रूप से प्राप्त हुई थी। विपक्षी संख्या- 4 कृष्णदत्त पाण्डेय इस सिलिंग वाद में निहित भूमि के पाण्डेय रघुनन्दन राम के पौत्र होने के कारण स हिस्सेदार हैं। विपक्षी का यह भी कथन है कि अभी तक कोई भी बंटवारा नाप जोख कर नहीं की गई है।

अतः विक्री की गई भूमि के क्रेतागण स हिस्सेदार माने जाएंगे आवेदक का
पाण्डेय देवनन्दन राम के पौत्र के हिस्से की जमीन खरीदी गई है। विद्वान
के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया की इस वाद के आवेदक
अवधकिशोर पाण्डेय भूमि विक्रेता के वंश वृक्ष से भी नहीं है। विपक्षी अपने
गोतीया परिवार से भूमि क्रय किये है, तथा वाद से संबंधित भूमि नगर
पंचायत/शहरी क्षेत्र में अवस्थित है साथ ही भूमि कृषि योग्य न होकर व्यवसाय
योग्य भूमि है। जिस पर सिलिंग का वाद की कार्रवाई नियमानुसार नहीं बताया
गया है। साथ ही उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया की आवेदक
एवं विपक्षी के बिच किसी मामले को लेकर विवाद रहता है, जिसके कारण
आवेदक विपक्षी को जान बुझ कर परेशान करते रहते है। इस प्रकार आवेदक के
आवेदन को खारिज करने हेतु बताया गया।


उभय पक्ष के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन एवं विद्वान
अधिवक्ता द्वारा रखे गये पक्ष से स्पष्ट होता है कि ग्राम आमर के पुराना खाता
संख्या- 20, नया खाता संख्या- 45 एवं पुराना प्लॉट संख्या- 702 नया प्लॉट
संख्या- 1529 एवं 1630 कुल रकबा- 0.37½ एकड़ भूमि खतियानी भूमि है जो
विपक्षी लालमणी पाण्डेय एवं अन्य के पूर्वजो की भूमि थी, जिसे विपक्षी द्वारा
अपने गोतिया परिवार से क्रय की गई है। बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग, पत्र संख्या- 10/सी (पी0) 13/81-68 भू0सु0 दिनांक- 3/6 मार्च
1981 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री श्याम देव प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव के
पत्राचार एवं बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि
अर्जन अधिनियम 1961 के प्रावधान के आलोक में नगरपालिका के अधिसूचित
क्षेत्र की भूमि पर प्रभावी नहीं होंगे वाद से संबंधित भूमि नगर पंचायत/शहरी
क्षेत्र में मुख्य पथ से सटे भूमि है जो व्यवसायिक योग्य एवं मकान योग्य भूमि है
साथ ही क्रेता के द्वारा अपने निजी गोतिया परिवार से भूमि क्रय की गई है।
सिलिंग वाद 16 (3) के अंतर्गत इस भूमि पर सिलिंग वाद लागू नहीं होता है।
साथ ही सिलिंग वाद Section 16 के 3 (1) में अंकित प्रावधानो के अनुसार
विपक्षी भूमि विक्रेता के स-हिस्सेदार है तथा उनके द्वारा गृह योग्य भूमि क्रय की
गई है।

अतएव आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित



उप समाहर्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।



उप समाहर्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।